

(Handwritten signature)

नहीं की गई एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 बावजूद संताना के उपस्थित नहीं होने से
पलना में विपक्षी संख्या 1 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी करने में कोई आपत्ति जाहिर
किया जाकर विपक्षीगण को बजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 01.06.2022 को पंजीबद्ध
विपक्ष होने पर है।

बार कक्षा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गया, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु
टालमबाली का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 28.04.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम
मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करने बाबत कक्षा लेकिन विपक्षीगण इस्बार
अपनी आराजियत को पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कड़े
में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को
होने से प्रार्थी को काइत करने, काइत लाम प्राप्त करने, पास आदि काटने व मवेशी चराने
प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियत के चारों तरफ सीमा के मुहकाल निशानात नहीं
0.18 हे० मी० स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा देस प्रार्थना पत्र के साथ
अधिकारी की कृषि आराजियत खाला संख्या 476 में अंकित आराजी संख्या 2150 रकबा
पालरा पटवार इन्का पालरा तहसील रायपुर के बैकन इन्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी
पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम

दिनांक 28.06.2022

निर्णय

प्रार्थी अधिवक्ता

1. जाकिर हुसैन -

उपस्थित

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एलओआरओएक्ट

विपक्षीगण

1. गुराब पिता गोवर्धन सुनार निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रोशन पिता केशुदास बैजवा निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मुरा पिता गोपी देवी निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. छोगा पिता श्रीराम देवी निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भूक पिता श्रीराम देवी निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कालु पिता लाल देवी निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नारु पिता मंगु लखारा निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

प्रार्थी

1. मोहनलाल पिता हीरालाल जाट निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

सकदमा नम्बर:-86/2022 (2022/195) प्रार्थना पत्र

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बन्बोडा, आर.ए.एस.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)



(सिन्धुतलल बन्धन)
 वषषष अक्षिकी
 वषषष अक्षिकी
 (सिन्धुतलल बन्धन)
 28.06.2022
 [Signature]

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को से द्वारा लिखाया जाकर संनाया गया।

दाखला अंकित किया जावे।

विहित पथरगढी करव। प्रकरण निर्णित हुंमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर से
 पक्षकारान के करायी जावे। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से
 जमा होने पर उक्त आराजी की पथरगढी पक्षकारान को संचित करते हुए बंधामालत
 द्वारा पथरगढी शुल्क 200/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रुपये
 में-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी
 2150 रुकवा 0.18 है0 मांस स्थित है। जिसकी पथरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित
 के खातेदारी अधिकारी की कृषि आराजियात खता संख्या 476 में अंकित आराजी संख्या
 है कि ग्राम पालरा पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर के बंजन हल्का आबादी में प्रार्थी
 अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता

आदेश

अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
 बाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कार्गुनन स्वीकार योग्य नहीं है।
 निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पथरगढी कराना
 प्रकार का कोई परिवर्तन होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार
 एकतरफा कायदाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी

